भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.02.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 72 का उत्तर

स्टेशन पुनर्विकास प्रक्रिया

***72. डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया, जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा शामिल है, जटिल प्रकृति की होती है और इसके लिए शहरी/स्थानीय निकायों से विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कारक कार्य पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कारकों के कारण देश में कितने स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य अधूरा है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

स्टेशन पुनर्विकास प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को लोक सभा में डॉ. आलोक कुमार सुमन के तारांकित प्रश्न सं. 72 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास जटिल स्वरूप का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त है और विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति के कार्य ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध, आदि के कारण भी प्रभावित होता है। रेलवे स्टेशन विकास कार्य के लिए संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृतियों के लिए शहरी/स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया जाता है।

रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' का लोकार्पण किया गया है। इस योजना में दीर्घकालिक विधि के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इस योजना में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करना और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता में यथा आवश्यक सुधार लाने, मुफ्त वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, भूदृश्य निर्माण आदि के लिए उनका चरणों में कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान स्टेशन इमारत में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर की दोनों तरफ के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था, आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार 'रूफ प्लाजा', और रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना की गई है।

भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन एक सतत और चलायमान प्रक्रिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए अभी तक 1318 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है।

*****